शिक्षा विभाग, बिहार
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)
आदेश

पटना, दिनांक..........................

संचिका संख्या–8 / आ० 5–16 / 2008 .... / निगरानी विभाग, (अन्वेषण ब्यूरो) बिहार, पटना के धावादल द्वारा दिनांक 14.03.2007 को श्री ललन मंडल, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर–सह–लेखापाल, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, हिलसा, नालन्दा को रिश्वत लेते हुए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के धावादल द्वारा गिरफ्तार कर हिरासत में लिया गया। जिसमें श्री हरिश्चन्द्र चौधरी, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, हिलसा, नालन्दा सम्प्रति प्राथमिक शिक्षा निदेशालय में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत्, सम्प्रति निलंबित, निर्धारित मुख्यालय–क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक का कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना की सहभागिता परिलक्षित होने के फलस्वरुप इनके विरुद्ध भी निगरानी थाना कांड संख्या 36 / 2007 दिनांक 14.03.2007 दर्ज की गयी तथा उन्हें दिनांक 24.11.2007 को हिरासत में लिया गया।

उपर्युक्त परिपेक्ष्य में विभाग द्वारा समानांतर रुप से निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 604 दिनांक 01.06.2007 द्वारा बिहार एवं उड़ीसा अनुशासन एवं अपीलीय नियमावली 1935 के आलोक में विभागीय कार्यवाही के अधीन किया गया। उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा जिला शिक्षा अधीक्षक, नालन्दा को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। बिहार सेवा संहिता के नियम 99 के आलोक में श्री चौधरी को माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जेल जाने के आरोप में दिनांक 24.11.2007 के प्रभाव से निलंबित किया गया तथा आदेश ज्ञापांक 453 दिनांक 04.05.2007 द्वारा उनके विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी।

क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक 176 दिनांक 09.06.2008 के प्रतिवेदनानुसार श्री चौधरी द्वारा निर्धारित मुख्यालय (क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना) में दिनांक 14.05.2008 को जमानत के उपरांत दिए गए योगदान के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (3) के तहत् निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 31 दिनांक 06.01.2009 द्वारा श्री चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया गया। तत्पश्चात् आदेश ज्ञापांक 109 दिनांक 26.02.2009 द्वारा उन्हें व्याख्याता के पद पर प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, विक्रम, पटना पदस्थापित किया गया।

निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 233 दिनांक 12.02.2014 एवं शुद्धि पत्र संख्या 242 दिनांक 13.02.2014 द्वारा श्री चौधरी के विरुद्ध अधिरोपित आरोप गंभीर प्रकृति का होने तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के कंडिका 03 (01) में निहित प्रावधानों के प्रतिकूल होने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (1)(क) एवं (ग) के तहत श्री चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक का कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना मुख्यालय निर्धारित किया गया।

क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक–सह–संचालन पदाधिकारी, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक 237 दिनांक 20.08.2009 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही से संबंधित जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। फलतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 18 (02) एवं

(03) में निहित प्रावधान के आलोक में निदेशालय के पत्रांक 864 दिनांक 14.02.2014 द्वारा संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए श्री चौधरी से लिखित अभ्यावेदन की मांग की गयी। उक्त पत्र के आलोक में श्री चौधरी से लिखित अभ्यावेदन प्राप्त हुआ। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में इस तथ्य का संज्ञान नहीं लिया गया है कि रिश्वत लेने के कृत्य में इनकी सहभागिता इनके कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा एवं सरकारी सेवक से अपेक्षित आचार के प्रतिकूल है। इनके द्वारा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के कंडिका 03 (01) I, II एवं III का स्पष्ट रुप से उल्लंघन किया गया है।

अतः श्री हरिश्चन्द्र चौधरी, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, हिलसा, नालन्दा सम्प्रति प्राथमिक शिक्षा निदेशालय में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत्, सम्प्रति निलंबित, निर्धारित मुख्यालय–क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक का कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए "बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के भाग (V) के नियम 14 (XI) के तहत आदेश निर्गत की तिथि से सेवा से बर्खास्त (Dismiss) किया जाता है।

ह०/–
(अमरजीत सिन्हा)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक .... पटना, दिनांक

प्रतिलिपिः– निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, नालन्दा/पटना/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना/जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालन्दा/पटना/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), नालन्दा/पटना/कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा/पटना एवं श्री हरिश्चन्द्र चौधरी, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, हिलसा, नालन्दा सम्प्रति प्राथमिक शिक्षा निदेशालय में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत्, सम्प्रति निलंबित, निर्धारित मुख्यालय–क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक का कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक .... पटना, दिनांक

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक 503 पटना, दिनांक 4/4/14

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव।

E:\NEHA SINHA\Office Order.doc